

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

४५८ - ता०

४८

138

सन् २०।२-१३।

केस का प्रकार

.सं०

तक

परिवेशान (CNT Act)

31-7-13

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, धुरकी के पन्नोंक ०८४ दिनोंड २७-६-२०१३ से जाँच प्रतिवेदन आप्र हुआ था अम ईस्टवर भी जाँच प्रति भी प्राप्त, जिसका अवलोकन किया। आच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि केता एवं विक्रेता दोनों एक दी घोने एवं स्क दी जानि अनु० जन जाति के व्यक्ति हैं। प्रस्तावित द्वाजि पर विक्रेता का आनुवंशिक वृषभ कहा जाता है। अंचल अधिकारी द्वारा विक्रेता को भूमि विकी के पश्चात भूमि दीन नहीं होने की उम्मी भी है एवं प्रस्तावित द्वाजि विकी करने की अनुर्भवा भी भी है। विक्रेता द्वारा ही गई उवादी पत्रक में योग दिया गया है कि वे अपनी भूमि भी विकी किसी के द्वाव या बट्कों जैं नहीं आए स्पष्टा से इलाज हेतु कर रही हैं।

अब, अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से उनके अनुर्भवा एवं उवादी पत्रक के आलोक में निम्नोंकि द्वाजि की विकी विक्रेता नहीं भति छुधनी देकी पति विश्वनाथ सिंह सा० के नमा पा० अम्बाखोरेया थाना पुरकी को केना भी छिप सिंह पिता स्व० तसीलदार सिंह सा० के नमा पा० अम्बाखोरेया थाना पुरकी जिला गढ़वा के द्वावों विकी करने की ही जाती है।

भूमि का विवरण

उम्मी-शान्ति नं०	स्थान	लैंड एक्वा	दौद्धि
केना १७०	६८	६७३ ०-०३३ ए०	उमर- रामकेष्ण सिंह ८०- रास्ता कच्ची ८०- विश्वनाथ सिंह ८०- रास्ता कच्ची
	६८	६३१ ०-१५ ए०	उमर- रास्ता कच्ची ८०- भरतज्ञ सरदार ८०- बीज विक्रेता ८०- विश्वनाथ सिंह ८०- अकेला रास्ता

अप समाप्ति

नगर उच्चार

अप समाप्ति

नगर उच्चार

- परमिशन वाद सू
1. श्रीमति बधनी स० केतमा पो०
 2. शिव सिंह स० केतमा